झारखण्ड सरकार

कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

वन भवन, चतरा– 825401 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (o) - 06541- 298011 E-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in

पत्रांक दिनांक

सेवा में,

श्री प्रवीण राम,
वरीय प्रबंधक,
ट्रांसमिशन प्रमंडल,
झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड,
हजारीबाग।

विषयः– चतरा जिला अन्तर्गत ईटखोरी से चतरा तक 132 के.भी. ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 55.217 हे0 (चतरा उत्तरी– 1.538 हे0 एवं चतरा दक्षिणी– 53.679 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित करना है कि आपने अपने पत्रांक 400 दिनांक 06.07.2019 द्वारा उक्त ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु प्रस्ताव आठ प्रतियों में एवं ऑनलाईन प्रस्ताव इस कार्यालय में समर्पित किया है। समर्पित प्रस्ताव की जाँच भारत सरकार द्वारा निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार किया गया। जाँच के क्रम में पाया गया कि निम्नवत अभिलेख वांछित है–

1. पार्ट–1 के कंडिका B-1 में List of proposal submitted in past के कॉलम में शून्य दर्शाया गया है जबकि इस प्रमंडल से ही डाढ़ा ग्रीड सब स्टेशन निर्माण प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा अन्तिम स्वीकृति प्राप्त है। इसकी पूर्ण विवरणी कॉलम में अंकित किया जाए। साथ ही इसके अतिरिक्त कोई और मामला है तो उसे भी अंकित करना अनिवार्य है।
2. पार्ट–1 के कंडिका B-2.4 में Component wise breakup के गैर वन भूमि में 0.006 हे0 रकबा कम अंकित किया गया है इसमें सुधार की आवश्यकता है।
3. प्रस्ताव में प्राधिकृत पदाधिकारी का पत्र संलग्न है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी का पूर्ण विवरणी (नाम, पदनाम, सरकारी मोबाईल नं0, पी.एन.टी. नं0, सरकारी ई–मेल आईडी, सरकारी फैक्स नं0 तथा पत्राचार का पता ईत्यादि) अंकित होना अनिवार्य है जो नहीं है।
4. प्रस्ताव में गैर वन भूमि का गैर मजरूआ भूमि/रैयती भूमि ईत्यादि का भूमि विवरणी समर्पित किया गया है जिसका कोई औचित्य नहीं है। गैर वन भूमि पर संबंधित अंचलाधिकारी का हस्ताक्षरित भूमि विवरणी जिस पर खतियान के अनुसार भूमि का किस्म अंकित हो उसे ही संलग्न करना उचित है।
5. प्रस्ताव में ऑथेन्टिक लैण्ड शिड्यूल समर्पित किया गया है परन्तु मयूरहंड अंचल के सारांश में अंचलाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित नहीं है। साथ ही ईटखोरी अंचल से संबंधित गैर वन भूमि का ऑथेन्टिकेटेड लैण्ड शिड्यूल संलग्न है परन्तु उसका सारांश संलग्न नहीं है।
6. उक्त ट्रांसमिशन लाईन निर्माण के क्रम में प्रभावित गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि का उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न होना अनिवार्य है जो नहीं है।
7. उक्त ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति पत्र संलग्न होना अनिवार्य है जो नहीं है।
8. उक्त ट्रांसमिशन लाईन निर्माण के प्रारम्भ मौजा से अन्त मौजा तक क्रमवार रूप से भूमि विवरणी एवं मौजा मैप पर ट्रांसमिशन लाईन को दर्शाते हुए इन्डेक्स में प्रभावित भूमि को दर्शाते हुए संलग्न करना अनिवार्य है जो नहीं है।
9. 1:50000 स्केल पर अल्टरनेट एलाईनमेंट को उक्त ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु दर्शाते हुए प्रस्ताव में संलग्न है जिसके अवलोकनोंपरांत पाया गया कि ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु रूट में पड़ने वाले कुछ मौजों को शामिल नहीं किया गया है इसे शामिल करना अनिवार्य है।

10. पार्ट–1 के कंडिका C(B) में उक्त ट्रांसमिशन लाईन निर्माण एक पैच में होने का उल्लेख करते हुए KML File अपलोड किया गया है जो सही नहीं है। ईटखोरी से चतरा तक ट्रांसमिशन लाईन निर्माण के क्रम में प्रारम्भ से अन्त तक जितने भी वन भूमि एवं जंगल झाड़ी भूमि मिलाकर पैच बनते है उन्हें पैचवार रकबा के साथ KML File अपलोड करना अनिवार्य है।

11. प्रस्ताव में संलग्न Geo-reference Map का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि उक्त मैप अपूर्ण है। ईटखोरी–चतरा ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में प्रभावित वन भूमि एवं जंगल झाड़ी भूमि को हैचिंग करते हुए पैचवार GPS Reading अंकित करते हुए Geo-reference Map in Shape File संलग्न करना अनिवार्य है एवं इस क्रम में तैयार किये गये फाईल की प्रति भी संलग्न करना होगा।

12. उक्त ट्रांसमिशन लाईन निर्माण के क्रम में प्रभावित वृक्षों की गणना सूची सारांश के साथ समर्पित करना अनिवार्य है जो नहीं है।

अतः उपरोक्त वांछित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करने हेतु प्रस्ताव की सभी मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुए अनुरोध है कि संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित किया जाय ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

<u>अनु0–यथोक्त–</u>

विश्वासभाजन,
ह0/–
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

ज्ञापांक– 2221 दिनांक– 10.07.19

प्रतिलिपि– प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह– कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

10/7

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

10/7/19